



MANISH VERMA NOTES

PUBLIC INSTITUTIONS IN INDIA

B.A PROGRAMME SEM.-4TH

100% COVERAGE ALL POSSIBLE Q'S

ENGLISH MEDIUM



THEORY

- ✓ AUTHOR'S BOOKS SIMPLIFIED
- ✓ TOP 08 Q WITH ANSWER.
- ✓ BASED ON NEP LATEST PATTERN
- ✓ HIGH SCORING EXAM NOTES

PRACTICE

- ✓ BEST WAY TO FORMAT AN ANSWER
- ✓ FLOW CHART, DIAGRAMS
- ✓ INCLUDES TOPPER ANSWER SHEET
- ✓ PYQS SOLVED

STRICTLY BASED ON UGC CBCS NEP LATEST SYLLABUS

#YAHEEN AAEGA EXAM MEIN!

PUBLIC INSTITUTIONS IN INDIA



सामग्री की तालिका

यूनिट 1

सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन

यूनिट 2

सार्वजनिक नीति तैयार करना : नीति आयोग

इकाई 3

चुनाव संचालन : भारत निर्वाचन आयोग

इकाई 4

नागरिकों की सुरक्षा : पुलिस

इकाई 5

भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

यूनिट 6

नियामक संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

इकाई 7

क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)

ख) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी)





भारत में सार्वजनिक संस्थान

प्रश्न 1 - भारत में सार्वजनिक संस्थाओं के विकास और प्रकारों की व्याख्या करें।

इसके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का वर्णन करें।

उत्तर - परिचय

सार्वजनिक संस्थाएँ लोकतंत्र की नींव हैं

भारत में स्वतंत्रता के बाद से कई ऐसी संस्थाएँ अस्तित्व में आई हैं।

भारत में स्थापित किए गए हैं। इनमें सरकारी शामिल हैं

और गैर-सरकारी, संवैधानिक और गैर-

संवैधानिक संस्थाओं के अलावा विधायी, कार्यकारी

और न्यायिक संस्थाएँ। सार्वजनिक व्यवस्था का महत्व

भारत में संस्थानों की संख्या बहुत अधिक है।

हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के साथ-साथ वे समग्र रूप से महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं

देश का विकास।



सार्वजनिक संस्थाओं का अर्थ

संस्थाएँ हैं जो

"जनता" को सेवा, कल्याण और न्याय सुनिश्चित करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए "and justice to the 'public'".

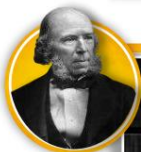
विभिन्न विचारकों द्वारा सार्वजनिक संस्था की परिभाषाएँ :



According to Douglass North (1991), "संस्थाएँ मानव निर्मित हैं

राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संपर्क को संरचित करने वाली बाधाएँ। वे

इसमें अनौपचारिक बाधाएँ और औपचारिक नियम दोनों शामिल हैं।"



According to Herbert Spencer, सार्वजनिक संस्थाएँ, विभिन्न अंगों के रूप में

समाज में एक जीवित जीव की तरह समग्र कामकाज में योगदान दे।

उनके अनुसार, "ये संस्थाएँ विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए विकसित होती हैं

और समाज की ज़रूरतें।"

सार्वजनिक संस्थाओं का विकास :

ऋग्वेद और अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथ

'सभा' या 'समिति' जैसी अवधारणाओं का उल्लेख करें, जो यह दर्शाता हो

प्रारंभिक लोकतांत्रिक संस्थाओं की उपस्थिति।



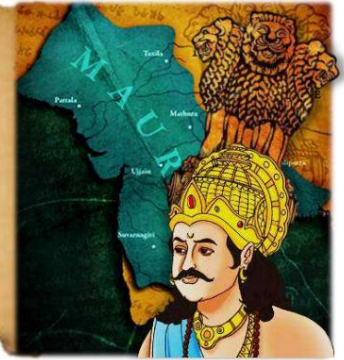
1



2

मौर्य साम्राज्य का इतिहास हमें बताता है कि उनका

प्रशासन बहुत कुशल था जो विभिन्न पर आधारित था
सार्वजनिक संस्थाएँ जैसे स्थानीय प्रशासन, पुलिस व्यवस्था,
जासूसी प्रणाली, परिवहन प्रणाली और जन्म पंजीकरण
और मौतें, विदेशी, उद्योग, व्यापार, निर्माण।



3

अकबर के समय में नौकरशाही अत्यधिक शहरी थी

संस्था, जहां अधिकारी मुख्य रूप से जिम्मेदार थे
कानून और व्यवस्था बनाए रखना, रक्षा करना और विस्तार करना
साम्राज्य की सीमाओं पर कब्जा करना, तथा धन या कर एकत्र करना।
इस अवधि में संस्थाएँ केंद्रीकृत, अधिक आधुनिक और
स्पष्ट रूप से परिभाषित।



4

• ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आगमन

नियम महत्वपूर्ण साबित हुआ
के विकास में मील का पत्थर
भारतीय सार्वजनिक संस्थान।
ब्रिटिश काल में अनेक सुधार
के क्षेत्र में हुआ

शिक्षा, न्याय, पुलिस सुधार,

सिविल सेवा सुधार और

विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना
संस्थाएं।

• के गठन के माध्यम से

प्रशासनिक एजेंसियां जैसे
भारतीय सिविल सेवा,
ब्रिटिशों ने एक केंद्रीकृत
प्रशासनिक संरचना के साथ
कर संग्रह पर ध्यान केन्द्रित करें और
प्रशासन।



5

स्वतंत्रता के बाद, वित्त जैसे कई सार्वजनिक संस्थान

आयोग, चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय

और भारत में कार्यरत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

संविधान के तहत, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं और अभी भी भारत को और अधिक विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं

विकसित और समावेशी।





भारत में सार्वजनिक संस्थाओं के प्रमुख प्रकार:



1. **संवैधानिक संस्थाएँ :** [redacted] द्वारा स्थापित की जाती हैं।

देश के संविधान का निर्माण करना तथा उनका मुख्य कार्य संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

राष्ट्र के। इनमें संसद, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक निकाय शामिल हैं

केन्द्र और राज्य की संस्थाएँ।

उदाहरण: भारत चुनाव आयोग।

2. **वैधानिक संस्थाएँ :** [redacted] का उल्लेख संविधान में नहीं है।

संविधान के अनुसार ये संस्थाएँ संसद द्वारा कानून पारित करके बनाई जाती हैं।

वैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं।

उदाहरण: राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय

मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय हरित अधिकरण।

3. **नियामक संस्थाएँ :** [redacted] वतंत्र एजेंसियाँ हैं।

सरकार किसी विशेष क्षेत्र में मानकों को परिभाषित करने, लागू करने और विनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उदाहरण:

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड

भारत में (बीसीसीआई)

4. **कार्यकारी संस्था :** [redacted] प्रस्ताव द्वारा स्थापित की जाती हैं

संविधान या संसद के अधिनियम द्वारा नहीं, बल्कि किसी कार्यवाही द्वारा। संसद उन्हें परिवर्तित कर सकती है

एक नया कानून या अधिनियम बनाकर वैधानिक संस्थाओं में शामिल करना।

उदाहरण: नीति आयोग, केन्द्रीय

ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) और राष्ट्रीय विकास परिषद।

5. **अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ :** [redacted] नूनी प्रावधानों के तहत बनाए जाते हैं

और न्यायिक प्रक्रियाओं के कुछ हिस्सों को संभालते हैं लेकिन पूरी तरह से न्यायिक नहीं हैं। वे विवादों का निपटारा करते हैं

विशिष्ट क्षेत्रों में उनके निर्णयों का कानूनी महत्व होता है।

उदाहरण: राष्ट्रीय मानवाधिकार

आयोग।

भारत में सार्वजनिक संस्थानों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियाँ:





1. कर्मिक संसाधनों की कमी :

सबसे बड़ी समस्या है कर्मचारियों की गुणवत्ता और संख्या में कमी। काम करने वाले कर्मचारियों की भारी कमी है पेशेवरों की कमी और कुशल और तकनीकी रूप से सुसज्जित कर्मियों की कमी। ये समस्याएँ सार्वजनिक संस्थाओं की प्रभावशीलता पर प्रभाव पड़ता है।

2. अस्पष्टताएं :

संघीय व्यवस्था में कानूनी और संवैधानिक अस्पष्टताएं आम हैं। और लोकतांत्रिक संरचना। इससे संस्थाओं के कामकाज में बाधा आती है। अस्पष्ट दिशा-निर्देश और नियम कर्मचारियों के लिए भ्रम और गलतफहमी पैदा करते हैं, जिससे उनकी क्षमता।

3. समन्वय में दुविधाएँ :

जैयों से निपटना, जैसे पर्यावरण क्षरण, साइबर अपराध और स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक प्रयास की आवश्यकता है सहयोग, समन्वय और नियमित संचार। कर्मचारियों की वजह से संस्थानों के कामकाज में बाधा आती है। इससे काम में देरी होती है और संसाधनों का दुरुपयोग।

4. जवाबदेही :

पारदर्शिता का अभाव एक गंभीर समस्या है। सार्वजनिक संस्थाओं में अधिकारियों की जवाबदेही की कमी से उनकी कार्यकुशलता कम हो जाती है। इससे काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है और समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पाता।

5. राजनीतिक हस्तक्षेप :

कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप निष्पक्षता और स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा डालता है कर्मचारियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और संस्थानों की कार्यकुशलता कम हो जाती है। इससे संस्थानों की स्वतंत्रता कमजोर होती है। न्यायपालिका, चुनाव आयोग और नियामक संस्थाओं जैसी संस्थाओं को शामिल किया गया है, जिससे उनकी प्रभावशीलता कम हो रही है।

निष्कर्ष

सार्वजनिक संस्थाएँ हमारी शासन व्यवस्था की आत्मा हैं, इसमें आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है गोपनीयता से पारदर्शिता लाना, अधिक जवाबदेही लाना, कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाना, और विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करें। समकालीन समय में, प्रौद्योगिकी और डिजिटल मीडिया इसका उपयोग बेहतर सेवाएं प्रदान करने और शिकायतों के समाधान के लिए किया जाएगा।



प्रश्न 2- भारत के चुनाव आयोग की भूमिका और कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें?

उत्तर - परिचय

भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनावी प्रणाली है

शासन प्रणाली। इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए,

18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को दिया गया है

संविधान द्वारा **वोट का अधिकार**। इसके लिए,

चुनाव आयोग का गठन किया गया है, जो

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी। लेकिन इसमें कुछ कमियाँ हैं जो इसे और भी जटिल बना देती हैं

यह कमज़ोर है।



भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है

जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली का संचालन करता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी

इसे "**चुनाव आयोग**" भी कहा जाता है।



o अनुच्छेद 325: किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा।

लिग।

o अनुच्छेद 326: यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित है।

o अनुच्छेद 329: न्यायालय चुनाव संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

चुनाव आयोग की भूमिका और कार्य

1. **मतदाता सूची** : मतदाता सूची तैयार करना निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है।

आयोग, क्योंकि यह चुनावी प्रक्रिया का आधार है। मतदाता सूची किसके द्वारा तैयार की जाती है

विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव आयोग।

2. **मतदाता पंजीकरण** : मतदाता सूची के इस कार्य के माध्यम से सभी नागरिकों

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाले लोगों को शामिल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने का काम किया जा रहा है।

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का काम चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है।

3. **उम्मीदवारों का नामांकन** : उम्मीदवारों का नामांकन करना है जो

उम्मीदवार बनने के लिए आवेदन करते हैं और उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाते हैं, जिसमें शामिल हैं

उनकी नागरिकता, शैक्षिक और वित्तीय जानकारी। इससे पारदर्शिता बढ़ती है

यह मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने तथा भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है।



4. **दलों का विनियमन :** राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है और अनुदान देता है

चुनाव आयोग ने उन्हें उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्य स्तरीय दलों का दर्जा देने का फैसला किया है।

प्रतीक आदेश, 1968, विनिर्देश, आरक्षण, विकल्प और आवंटन और

राजनीतिक दलों की मान्यता और उससे संबंधित मामलों का क्रियान्वयन

चुनाव आयोग।

5. **चुनावों का संचालन :** चुनाव आयोग (ईसीआई) की भूमिका

चुनावों में मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना बहुत जरूरी है। RPA, 1951 में इसकी पहचान की गई है

चुनाव के दौरान उत्पन्न होने वाले चुनावी अपराधों, मुद्दों या समस्याओं का समाधान इसके द्वारा किया जाता है

आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा।

चुनाव आयोग की प्रमुख आलोचनाएँ

1. **तकनीकी मुद्दे :** ग को विभिन्न तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ता है जैसे

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की खराबी, चुनाव की खराब गुणवत्ता

उपकरण आदि। कुछ मामलों में ईवीएम में तकनीकी समस्याओं के कारण गलत गिनती हो जाती है

इससे वोटों की संख्या में भारी गिरावट आएगी, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित होंगे।

2. **फर्जी मतदान :** व आयोग में फर्जी मतदान एक गंभीर समस्या है, जिसमें

कर्मचारियों की गैरजिम्मेदारी के कारण कुछ लोगों ने फर्जी वोट डाल दिए, जिससे

निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है, चुनाव आयोग इसका समाधान करने में विफल रहा है

समस्या है, जिसके कारण इसकी आलोचना की जाती है।

3. **अकुशल कर्मचारी :** व कर्मचारियों में प्रशिक्षण और दक्षता की कमी होती है, जिससे मतदान में बाधा आती है।

चुनावी प्रणाली के कामकाज में व्यवधान और गलतफहमियाँ पैदा होती हैं

चुनावी प्रक्रिया में।

4. **मतदाता सूची में कमियाँ :** त्रुटियाँ हैं जैसे

- मृत लोगों के नाम, दोहरा नामांकन, और कई पात्र मतदाताओं के नाम

गुमशुदा, गलत पहचान पत्र इत्यादि। जिसके कारण एक अच्छी चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होती है

इससे आयोग की कार्यप्रणाली बाधित हुई, जो आयोग की कमियों को दर्शाता है।



5. शिकायत निवारण तंत्र में कमियां :

एक मजबूत और व्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र, स्पष्ट और व्यवस्थित

शिकायतों को पंजीकृत करने, संसाधित करने और हल करने की प्रक्रिया।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

निर्वाचन प्रणाली के प्रशासन में चुनाव आयोग के मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता पंजीकरण, उम्मीदवारों का नामांकन, विनियमन

राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली और चुनावों का संचालन। ये कार्य चुनाव आयोग की नींव हैं।

चुनावी प्रक्रिया में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये कदम जरूरी हैं।

आयोग को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे तकनीकी कमियां (ईवीएम में खराबी), फर्जीवाड़ा

मतदान, अकुशल कर्मचारियों की समस्या, मतदाता सूचियों में त्रुटियाँ और मतदाता पहचान पत्र की कमी

प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली। ये समस्याएं इस बात पर सवाल उठाती हैं कि

चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

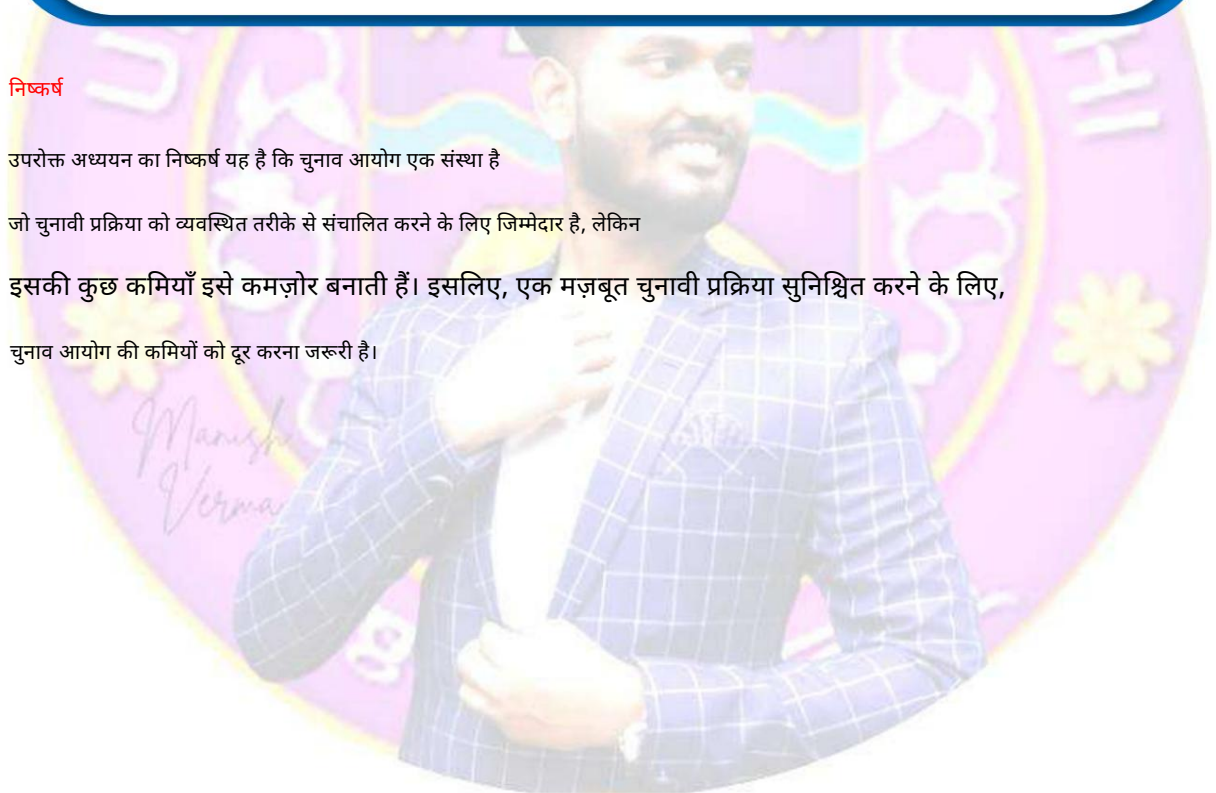
निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि चुनाव आयोग एक संस्था है

जो चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन

इसकी कुछ कमियाँ इसे कमज़ोर बनाती हैं। इसलिए, एक मजबूत चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए,

चुनाव आयोग की कमियों को दूर करना जरूरी है।





प्रश्न 3 - पुलिस की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करें।

उत्तर - परिचय

पुलिस व्यवस्था, देश की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सामाजिक संतुलन। इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल से है और

भारत में पुलिस संगठन का विकास हुआ

ब्रिटिश काल। स्वतंत्रता के बाद, भारतीय

पुलिस सेवा की स्थापना की गई, वर्तमान में पुलिस

तकनीकी उन्नति के साथ न्याय बनाए रखता है

और समाज की सुरक्षा के लिए सक्रिय रहता है। इसका कार्य अपराधों के खिलाफ लड़ना है

और समाज में शांति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।



"पुलिस" से तात्पर्य उस संगठन या प्रणाली से है जो अधिकारियों और कर्मचारियों का एक समूह है

समाज में कानून और शांति की रक्षा करना। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिक्रिया करना, रोकना और

अपराधों की जांच करें, ताकि समाज में शांति, व्यवस्था और सुरक्षा बनी रहे।

• ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार "पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है जो चीजों को व्यवस्थित रखने में मदद करती है और कानूनों को लागू करता है।"

• 1929 में रॉयल कमीशन ने पुलिस अधिकारी को विशेष कर्तव्य निभाने के लिए परिभाषित किया था जनता के कल्याण के लिए। इस गतिविधि में, पुलिस अधिकारी को प्रस्तुत किया गया उन्हें स्वेच्छा से यह कार्य करने का अवसर दिया गया तथा इसके लिए उन्हें पारिश्रमिक भी दिया गया।



पुलिस की उत्पत्ति

पुलिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द "पोलिस" से हुई है और इसका अर्थ "पुलिस" है।

लैटिन शब्द "पोलिटिया", जिसका अर्थ है, "शहर" और "स्थितियाँ"

वे राज्य के नियमों के अनुपालन और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं।

सभी द्वारा सार्वजनिक। भारत में इस प्रणाली की उत्पत्ति तब से हुई है

प्राचीन काल में कानूनी रूप से राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया था

समाज में शांति बनाए रखें और गलत काम करने वालों को दंडित करें।

भारतीय पुलिस प्रणाली के 6 स्तर

1. मुख्यालय
2. श्रेणी
3. जिला
4. उपविभाग
5. घेरा
6. स्टेशन

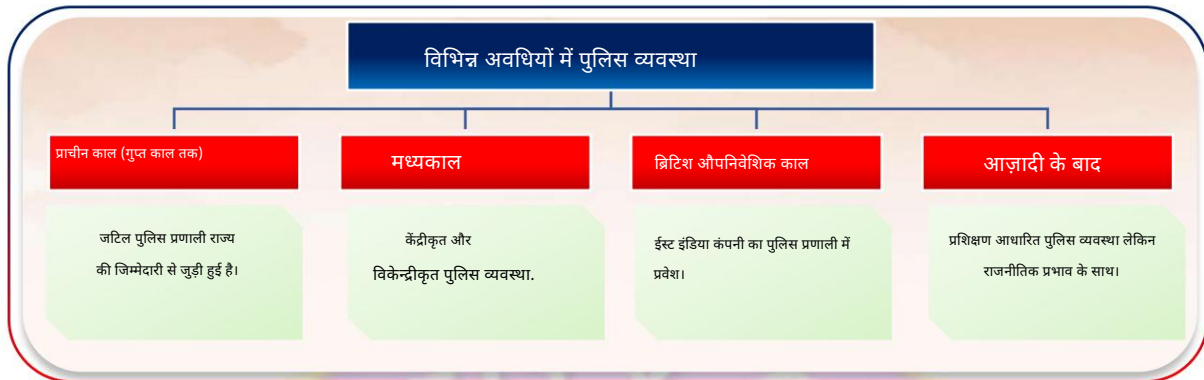


भारतीय रेलवे के भर्ती पद
पुलिस व्यवस्था

1. भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी
2. प्रांतीय पुलिस सेवा
- अफसर
3. अवर निरीक्षक,
4. सिपाही



विभिन्न अवधियों के आधार पर पुलिस व्यवस्था का विकास



1. प्राचीन पुलिस व्यवस्था (गुप्त काल तक) :

प्राचीन काल में पुलिस व्यवस्था के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई, वह यह थी कि यह व्यवस्था "दंड" की अवधारणा, जो राज्य की दमनकारी शक्ति का प्रतीक थी। इस दौरान उस समय पुलिस व्यवस्था पूरी तरह विकसित नहीं थी।

- इस समय पुलिस व्यवस्था जटिल थी, जिसे अलग-अलग हिस्सों में बांटकर संचालित किया जाता था।

गांव और शहरी स्तर पर सैनिकों और अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी।

गांव में ग्राम प्रधान और नगरीय प्रशासन द्वारा

"दुर्गापाल" या "कोटपाल", जो कानून, व्यवस्था और राजस्व के लिए जिम्मेदार थे संग्रह।

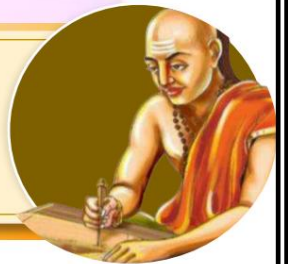
- प्राचीन भारत में राज्य का कर्तव्य सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ था।

जिसमें सुरक्षा प्रदान करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना आदि कार्य आयोजित किए गए।

मौर्य साम्राज्य में सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य थे।

पुलिसिंग की आधुनिक अवधारणा के जनक माने जाते हैं। उनकी "दंडनीति"

पुलिस व्यवस्था और नौकरशाही की रूपरेखा बताई।



2. मध्य युग में पुलिस व्यवस्था :

दिल्ली सल्तनत (1206-1526) और मुगल काल (1526-1860) के बीच।

समय के साथ, इस्लामी सिद्धांतों के पालन ने औपचारिक और अनौपचारिक तरीके.

- सल्तनत काल (1206-1526) के दौरान, पुलिस व्यवस्था में कोतवाल था

शहरों और गांवों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, और मुहतासिब प्रमुख था

नैतिकता और सार्वजनिक कार्यों के लिए अधिकारी। इस व्यवस्था का निर्देशन अमीर-ए-दाद द्वारा किया जाता था।



- मुगल काल (1526-1860) के दौरान पुलिस प्रणाली की संरचना इस प्रकार थी

अधिक शहरी केंद्रीकृत। इसके बारे में जानकारी खातों से उपलब्ध है

16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय यात्री।

3. ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में पुलिस व्यवस्था : [REDACTED] कंपनी का आगमन

भारत ने दोहरे नियंत्रण और द्वैध शासन की शुरुआत की, जिससे पुलिस व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई।

- औपनिवेशिक काल के दौरान, पुलिस प्रणाली पूर्वी यूरोप के प्रभाव में थी

भारत कंपनी और आपराधिक न्याय की जिम्मेदारी नियंत्रण में रखा गया था

नवाबों द्वारा पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग।

- भारत में औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य बल और आतंक के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करना था, पुलिस की जवाबदेही का अभाव।

भारत में दमनकारी औपनिवेशिक पुलिस प्रणाली सर विलियम ऑगस्टिन द्वारा शुरू की गई थी।

चार्ल्स नेपियर भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान।



4. स्वतंत्रता के बाद पुलिस व्यवस्था : [REDACTED] टिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के बाद,

औपनिवेशिक शासन की पुलिस प्रणाली की प्रकृति लंबे समय तक चली और इसके बाद इसकी भूमिका और पुलिस व्यवस्था में भारतीय सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया।

- स्वतंत्रता के बाद पुलिस की जिम्मेदारियों को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया।

खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में सरकार की भूमिका।

- भारत में जातिवाद, धार्मिक दंगे, राजनीतिक विवाद जैसे मुद्दों ने

नई चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस प्रणाली को नया स्वरूप प्रदान करना।

- इस दौरान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन और

संतुलन स्थापित करने में पुलिस की भागीदारी बढ़ गई।

निष्कर्ष

पुलिस की उत्पत्ति सामाजिक संगठन और सुरक्षा की आवश्यकता से हुई, जो प्राचीन काल से चली आ रही है।

प्राचीन काल से ही यह प्रथा चली आ रही है। ब्रिटिश शासन के दौरान यह एक व्यवस्थित और कानून प्रवर्तन का हिस्सा बन गया।

स्वतंत्रता के बाद, भारतीय पुलिस प्रणाली सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही है।

संदेश, राजनीतिक गतिविधियों और नागरिक सुरक्षा को सामाजिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करना और

लोकतांत्रिक मूल्यों।



प्रश्न 4 - मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका का मूल्यांकन करें।

भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में मानवाधिकार आयोग की क्या भूमिका है?

उत्तर - परिचय

मानव अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है

मानव जीवन का विकास, जिसके लिए आयोग

भारत में मानवाधिकार से संबंधित कई विधेयक पारित हुए, जिनमें

गरिमा, जीवन, स्वतंत्रता और के लिए एक विशेष भूमिका निभाते हैं

लोगों की समानता। वे सरकारी नीतियों का मूल्यांकन करते हैं

और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करें।



अधिकार जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय के माध्यम से मानवता और गरिमा के लिए सम्मान की मांग करते हैं

न्याय को मानवाधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्रदान करना है।

विभिन्न परिस्थितियों में स्वतंत्रता और समान अवसर।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 के अनुसार, "मानव अधिकार" वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं।

संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार

या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में शामिल हो और भारतीय न्यायालय द्वारा लागू किया जा सके।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) एक वैधानिक निकाय है

भारत में मानव अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी।

12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत

अधिनियम, 1993। इसका मुख्य उद्देश्य उल्लंघनों की जाँच करना, उन्हें रोकना और

न्याय सुनिश्चित करना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

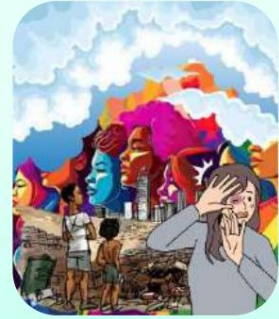


- 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जान-माल की हानि और मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण, संयुक्त राष्ट्र (1945) ने 10 दिसंबर 1948 को एक घोषणापत्र जारी किया।
- इसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, उपराज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष ... राज्य सभा के अध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- भारत में मानवाधिकार संरक्षण विधेयक 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसे इसे लोकसभा द्वारा 19 जुलाई 2019 को और राज्यसभा द्वारा 22 जुलाई 2019 को अपनाया गया।



राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- मनमाना गिरफ्तारी और हिरासत में यातना
- सांप्रदायिक हिंसा,
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा तथा उनकी तस्करी और बाल श्रम
- यौन हिंसा,
- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संबंधी मामले और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक
- एलजीबीटीक्यू अधिकारों का मुद्दा, आदि।



मानवाधिकार आयोग के प्रकार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	राज्य मानवाधिकार आयोग
यह एक स्वतंत्र निकाय है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। भारत में मानव अधिकारों को बढ़ावा देना। इसका कार्य है मानव अधिकार उल्लंघन की जांच करें, सुझाव दें और जागरूकता फैलाएँ।	ये निकाय मानव की सुरक्षा और निगरानी के लिए बनाए गए हैं राज्यों में अधिकार, एनएचआरसी के समान कार्य करते हैं लेकिन राज्य स्तर पर.

भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका

के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट , सभी विकासशील देशों में
भारत में 1/5वीं आबादी रात को भूखे सोती है, 1/4वीं के पास सुलभ भोजन नहीं
पीने के पानी की सुविधा के अभाव में एक तिहाई लोग अत्यंत गरीबी में जीवन जी रहे हैं



भारत जैसे विकासशील देशों में लोग मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है: -

1. मानव अधिकारों की रक्षा एवं सुदृढ़ीकरण : इस आयोग की मुख्य भूमिका

मानवाधिकारों की रक्षा करना और उन्हें मजबूत बनाना है। भारत में, यह आयोग निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है पुलिस जैसे मानवाधिकारों को नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दों की जांच करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना अत्याचार, बाल शोषण, घरेलू हिंसा, भेदभाव, धार्मिक हिंसा आदि।

2. स्वतंत्र जांच और सिफारिशें : उनका आयोग प्रयास करता है

स्वतंत्र जांच के माध्यम से मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को सुलझाना, आयोग पुलिस और सरकारी अधिकारियों की कार्रवाइयों की जांच करता है और सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करता है।

- उदाहरण के लिए, मानवाधिकार आयोग ने इस पर विशेष ध्यान दिया है

अपराधों की जांच में कमी, आपराधिक मामलों में उचित कार्यवाही का अभाव जैसी समस्याएं
अदालत में सुनवाई, निर्णय और सजा में देरी आदि।



3. मानवाधिकार जागरूकता एवं शिक्षा : आयोग मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है

विभिन्न मीडिया के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता और साक्षरता बढ़ाना।

नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करता है और मानवाधिकार शिक्षा और प्रशिक्षण आयोजित करता है

शैक्षिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से कार्यक्रम

संगठनों और सामुदायिक समूहों।

4. अनुसंधान एवं नीति सुझाव : एनएचआरसी विभिन्न मानव पर अनुसंधान आयोजित करता है

अधिकारों के मुद्दों पर चर्चा करता है और सरकार को नीतिगत सुझाव देता है। यह अधिकारों के मुद्दों पर चर्चा करता है और सरकार को नीतिगत सुझाव देता है।

आयोग मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करता है और उनके आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है।

बाल श्रम, मानव जैसे विभिन्न संवेदनशील मुद्दों पर व्यापक रिपोर्ट

तस्करी, तथा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा। ये रिपोर्टें मदद करती हैं

नीतिगत निर्णय लेने में सरकार एवं अन्य संबंधित एजेंसियों की सहायता लेना।

5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतिबद्धता : एनएचआरसी सहयोग करता है

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय के अनुसार कार्य करता है

यह संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर काम करता है और

भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए उनकी सिफारिशों को लागू करना चाहता है।

मूल्यांकन

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में मानवाधिकारों को मजबूत करना। यह पुलिस अत्याचार, बाल अधिकार, आदि जैसे मुद्दों की जांच करता है।

दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा, भेदभाव और धार्मिक हिंसा के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करना

स्वतंत्र जांच के माध्यम से कार्रवाई। एनएचआरसी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है ताकि

मानवाधिकार जागरूकता और शिक्षा। लेकिन यह आयोग व्यावहारिक रूप से प्रभावी नहीं है क्योंकि

इसमें पारदर्शिता की कमी, धन की कमी, महिलाओं के प्रति भेदभाव, निम्न वर्ग और

अन्य कमियों को दूर करने के लिए यह आयोग बनाया गया है। यह आयोग मानव जाति को मजबूत बनाने के काम के लिए बनाया गया है।

जीवन में यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए इसे व्यावहारिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

मानवाधिकार आयोग जैसे संगठनों की इसमें विशेष भूमिका है।

मानव जीवन के विकास के लिए आवश्यक संरक्षण, जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है

स्वतंत्रता जैसी गतिविधियों के माध्यम से मानव के सार्वभौमिक विकास के लिए,

समानता और न्याय के मुद्दे को प्रभावी बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।



प्रश्न 5 - भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें।

उत्तर - परिचय

भारतीय रिजर्व बैंक सर्वोच्च मौद्रिक नीति संस्था है।

भारत की संस्था, जो मौद्रिक और

भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय प्रणाली। इसके लिए, यह

विभिन्न नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करता है

यह भारत सरकार और अन्य के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि यह मुद्रा स्थिरता, बैंकिंग संरचना और में योगदान देता है

वित्तीय सहायता।



भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, तब से इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है।

- आर.जी. वॉटरे के अनुसार, केन्द्रीय बैंक की भूमिका "अंतिम उपाय के ऋणदाता" की है।
- किशो और एल्किन के अनुसार, केन्द्रीय बैंकों का मुख्य कार्य "आर्थिक स्थिरता" बनाए रखना है।

मौद्रिक मानक।"

भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना

□ आरबीआई अधिनियम के अनुसार, केन्द्रीय निदेशक मंडल को कम से कम 6 बार बैठक करनी होगी

यह बैठक प्रति वर्ष होगी, तथा प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होगी।

□ सार्वजनिक स्वामित्व हस्तांतरण अधिनियम, 1948 के तहत भारत सरकार ने

आरबीआई एक राज्य के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्था है।

रिजर्व बैंक में एक कार्यकारी गवर्नर होता है, जो बैंक के परिचालन की देखरेख करता है।

इसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है, इसलिए इसका संगठनात्मक ढांचा भारत सरकार से जुड़ा हुआ है।

भारत सरकार के केन्द्रीय बोर्ड और स्थानीय बोर्ड को -

१) **केन्द्रीय बोर्ड** : केन्द्रीय बोर्ड को पर्यवेक्षण करने की शक्ति है।

भारतीय रिजर्व बैंक अपनी समितियों के माध्यम से विशेष कार्य करता है

और उप-समितियाँ।

- इसमें 1 मुख्य गवर्नर और 4 अन्य उप गवर्नर, 10

निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुशंसित हो।





- राज्यपाल और उप राज्यपाल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं।

बोर्ड, लेकिन उन्हें वोट डालने की अनुमति नहीं है।

- गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा नियुक्त किया जा सकता है

राष्ट्रपति को 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्हें हटाने का अधिकार है।

केंद्रीय बोर्ड को प्रत्येक वर्ष कम से कम 6 बार बैठक करनी आवश्यक है।

2. स्थानीय बोर्ड : भारतीय रिजर्व बैंक के चार प्रभाग हैं

एक स्थानीय बोर्ड (प्रत्येक स्थानीय बोर्ड के लिए एक) द्वारा शासित जिसमें 5 सदस्य होते हैं

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य

यह बैंकों के हितों के साथ-साथ सहकारी और स्वदेशी बैंकों के हितों को भी ध्यान में रखता है।

- 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद, इन सदस्यों को

पुनः नियुक्त किया गया।

- यह बोर्ड द्वारा दिए गए कार्यों और मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है केंद्रीय बोर्ड.

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य

1. मौद्रिक कार्य : [REDACTED] सरकारी संगठन है

देश की मौद्रिक प्रणाली को चलाने के लिए कौन सी मुद्रा जारी की जाती है

यह बैंक देश में मुद्रा की आपूर्ति के लिए मुद्रा बनाने और उसे बनाए रखने का काम करता है।

नये नोट.

- यह सिक्कों के उत्पादन की निगरानी करता है, मुद्रा का उचित निपटान सुनिश्चित करता है और

जनता को कागजी मुद्रा का समान वितरण सुनिश्चित करता है।

- वर्तमान में, आरबीआई 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपये मूल्यवर्ग के नोट छापता है।

2. सरकार का बैंकर : [REDACTED] राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है।

यह केंद्र सरकार को कानूनी रूप से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है और सरकार को सलाह दे सकता है।

सरकार से नये बांड जारी करने की मात्रा, शर्तों और समय के संबंध में मदद मांगी गयी।

- आरबीआई ने सरकार को बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर सलाह दी

और आर्थिक नियोजन और विनिमय बिल जारी करता है

सरकारी आदेश.

- आरबीआई द्वारा सरकार को अल्पावधि ऋण प्रदान किया जाता है

वित्तीय तनाव कम करें.





3. **को के पर्यवेक्षक और बैंकर :** कटता से जुड़े हुए हैं।

आरबीआई द्वारा ऑन-साइट निरीक्षण और ऑफ-साइट निरीक्षण के माध्यम से निगरानी की जाती है

निगरानी के लिए आरबीआई द्वारा विभिन्न अनुभवी टीमों भेजी जाती हैं।

विशेष बैंकों में जांच का संचालन करना।



• आरबीआई द्वारा समस्याओं और उभरते जोखिमों को हल करने के लिए उचित कार्रवाई की जाती है।

बैंकों और सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली को व्यवस्थित रखना।

• RBI अन्य बैंकों के लिए वित्तीय सुविधाओं का आयोजन करता है। ये बैंक एक निश्चित सीमा तक अपने पास वित्तीय दायित्व रखते हैं।

आरबीआई के पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि होती है। इससे बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है।

ऋणदाता के रूप में कार्य करना।

4. **ऋण नियंत्रण :** ऋण का महत्वपूर्ण कार्य है

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया। ऋण राशि का उपयोग किया जाता है

रिज़र्व बैंक द्वारा उनकी मात्रा और योग्यता के आधार पर

इसे उचित ढंग से प्रबंधित करें।



• मात्रा में बैंक दर तय करना, खुले बाजार प्रणाली का संचालन करना शामिल है,

आरक्षित अनुपात और गुणात्मक नियंत्रण में परिवर्तन में क्रेडिट राशनिंग शामिल है,

मार्जिन आवश्यकताओं को तय करना।

5. **विदेशी मुद्रा प्रबंधक :** सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है।

बाजार को स्थिर और संगठित बनाना ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान सुचारू रूप से चल सकें

यह देश के विदेशी मुद्रा भंडार का भी ख्याल रखता है।

• यह सरकार के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित कार्य करता है।

विदेशी मुद्रा बाजार की निगरानी और विनियमन करता है।

• आरबीआई विदेशी मुद्रा प्रणाली की मजबूती और उसकी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता सुनिश्चित करता है।

घरेलू और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करना।

निष्कर्ष

भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है।

कार्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और सुरक्षा प्रदान करना है

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। इसकी संरचना इसे एक महत्वपूर्ण संस्था बनाती है जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को सुचारू और स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।



प्रश्न 6 - भारत में CAG की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

उत्तर - परिचय

भारत एक लोकतांत्रिक एवं विकासशील देश है जहां

संसाधनों के उपयोग की चुनौती हमेशा बनी रहती है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यह सुनिश्चित किया है कि

देश की वित्तीय जवाबदेही

संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसकी आलोचना भी होती है

औपनिवेशिक प्रकृति और सीमित कार्य।



भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है।

भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 के तहत प्राथमिक उद्देश्य

वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए।

- महालेखाकार कार्यालय की स्थापना की गई थी

वर्ष 1858 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया गया।

- 1860 में, सर एडवर्ड ड्रमंड को प्रथम नियुक्त किया गया

महालेखा परीक्षक, जिसके बाद इसे ऑडिटर जनरल के नाम से जाना जाने लगा

जनरल, वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदल दिया गया था

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंप दिया गया और 1884 से इसे

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नामित किया गया।



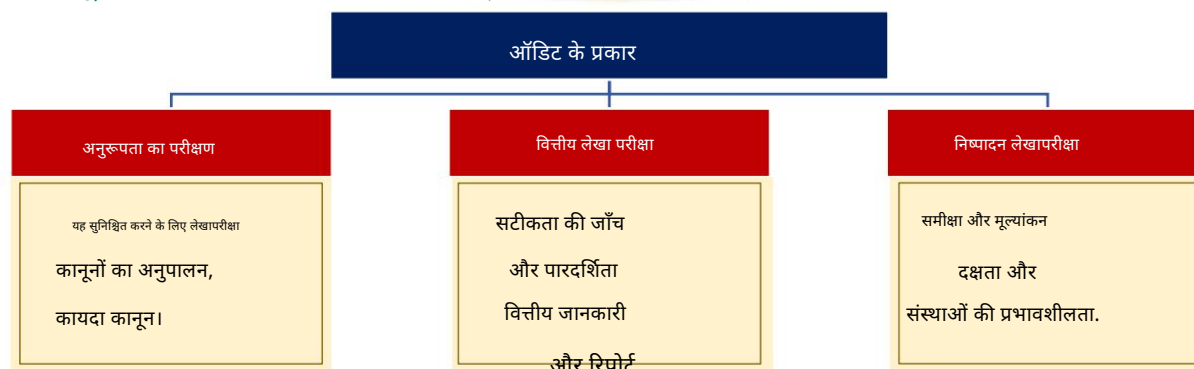
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में शक्तियों के निर्धारण का प्रावधान है,

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और कर्तव्य, तथा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन CAG की शक्तियां निर्धारित की गई हैं

अधिनियम, 1971 -

CAG द्वारा तीन प्रकार की लेखापरीक्षा की जाती है -





भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की भूमिका

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है उससे पहले का समय।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के अनुसार कार्य -

1. भारत की संचित निधि से सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा-परीक्षण करता है और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश।
2. आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित लेनदेन से संबंधित कार्य।
3. संघ और राज्यों के खातों के प्रारूपण पर राष्ट्रपति को सलाह देता है।
4. संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
5. वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों के खातों का ऑडिट करता है। कंपनी अधिनियम।



भूमिका

1. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच : [redacted] द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

वे सरकार के खातों का स्वतंत्र और निष्पक्ष लेखा-परीक्षण करते हैं विभागों और संस्थानों को ऑडिट पूरा करने की स्वतंत्रता मिलती है। बिना किसी दबाव या पक्षपात के सरकारी प्रणाली का प्रयोग करना।

2. संसद का नियंत्रण : [redacted] है और उसे संसद के सभी कार्यों के लिए शक्तियां प्राप्त हैं।

संसद को वित्तीय प्रबंधन के संबंध में जानकारी प्रदान करना विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों के अनुसार वह रिपोर्ट तैयार करता है। संसद की आवश्यकताओं को पूरा करता है और उन्हें संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है समितियां।

3. सरकारी प्रणाली में निष्पक्षता : [redacted] भूमिकाओं में से एक निष्पक्षता सुनिश्चित करना है

सरकारी व्यवस्था में। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यय नियमों के अनुसार हो।

प्रासंगिक कानून और नियमों का पालन किया जाना चाहिए तथा प्रणाली में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए।

4. वित्तीय जानकारी का प्रदाता : [redacted] त है

संसद और जनता को सरकार के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराना

विभिन्न क्षेत्रों में व्यय, वित्तीय प्रबंधन की स्थिति और अन्य मामले।



5. **संवैधानिक बचाव :** [REDACTED] वा, सीएजी का काम है

संविधान में उल्लिखित अन्य कार्य भी करना, जैसे कि आधिकारिक बनाना

संवैधानिक नियमों के अनुसार सरकारी व्यय का अवलोकन।

सीएजी की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण

1. **चयन प्रक्रिया की गोपनीयता :** CAG की नियुक्ति की प्रक्रिया गोपनीय है।

इसे गुप्त माना जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में CAG का चयन गुप्त तरीके से किया जाता है

जिसके कारण इसकी निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न होता है। परिणामस्वरूप,

यह सीएजी की नियुक्ति पर सरकारी पक्षपात और दबाव का संकेत है।

2. **औपनिवेशिक प्रकृति :** यह प्रणाली ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान स्थापित की गई थी,

जिसके कारण इसकी प्रकृति की आलोचना की जाती है। इसके तहत भूमिका तय करना अनावश्यक माना जाता है

स्वतंत्र भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका

3. **संसद के दिशा-निर्देशों का अभाव :** CAG संसद के एजेंट के रूप में कार्य करता है, लेकिन

वास्तविकता यह है कि संसद सीएजी के कार्यों को स्पष्ट करने में विफल रही है, जिसके कारण यह

आलोचना की गई।

4. **सीमित शक्तियां और कार्य :** CAG को केवल लेखापरीक्षा का अधिकार है, लेकिन इसके पास कोई अन्य शक्तियां नहीं हैं।

अपनी रिपोर्ट के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का अधिकार। इससे इसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है।

5. **सरकार का तोता :** CAG को सरकार का तोता कहा जाता है क्योंकि यह सरकार का काम नहीं कर सकता।

सरकार के प्रभाव के कारण निष्पक्ष रूप से काम करना मुश्किल हो गया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता कम हो रही है और

भारतीय लोकतंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष

भारत में, CAG सरकारी व्यय और वित्तीय प्रबंधन की जांच करता है, लेकिन

इसकी नियुक्ति प्रक्रिया गोपनीय और अपारदर्शी है। इसकी निष्पक्षता पर सवालिया निशान लग गया है

सीमित शक्तियां और सरकारी दबाव, जिसका इसकी विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है

भारतीय लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि इसके कार्यों को व्यवस्थित रूप से निर्धारित किया जाए।



प्रश्न 7. केंद्रीय सतर्कता आयोग के ऐतिहासिक विकास का वर्णन करें।

उत्तर - परिचय

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) भारत की एक सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रशासन। स्थापित भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करें ईमानदारी और पारदर्शिता, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पिछले कुछ दशकों में एक प्रमुख संस्थान के रूप में विकसित हुआ है भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई।



केंद्रीय सतर्कता आयोग का अर्थ: केंद्रीय सतर्कता आयोग

(सी.वी.सी.) भारत सरकार के अधीन एक महत्वपूर्ण संस्था है जो स्वतंत्र रूप से। इसका काम सरकारी विभागों पर नज़र रखना और सुनिश्चित करना है भ्रष्टाचार न हो। यह विभागों को उनके काम में सहायता और सलाह भी देता है सतर्कता संबंधी कार्य।



सतर्कता का मतलब है कि सरकारी कर्मचारी और संस्थाएं ईमानदारी से काम करें और ताकि प्रशासनिक कार्य शीघ्रता से और बिना किसी परेशानी के किया जा सके। इससे बर्बादी और वित्तीय नुकसान को रोका जा सकता है।



केंद्रीय सतर्कता आयोग का ऐतिहासिक विकास:

सीवीसी का ऐतिहासिक विकास निम्नलिखित चरणों में हुआ:

1. प्रथम चरण:

□ प्रारंभिक पृष्ठभूमि: 1962 - संतोष सिंह सरकार की सिफारिश पर

हेगड़े समिति ने कहा कि, विरोधी ताकतों को और मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई।

भ्रष्टाचार के उपाय। इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि

स्वतंत्र और शक्तिशाली निकाय की आवश्यकता है

भ्रष्टाचार को रोकें.

2. दूसरा चरण:



संतोष हेगड़े



भारत में सार्वजनिक संस्थान

□ आयोग का गठन: 1964 - आधारित

संतोष हेगड़े समिति की सिफारिशें

केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया

किसी के जरिए

सरकार का संकल्प

11 फरवरी 1964

। इसके अंतर्गत

प्रस्ताव के अनुसार, आयोग को एक स्वतंत्र आयोग के रूप में स्थापित किया गया।

विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सलाहकार निकाय

सरकारी विभागों और संगठनों।



3. तीसरा चरण:

□ कानूनी प्रकृति और अधिकार: 1998 - सरकार

भारत ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया

ए सांविधिक निकाय। इस दिशा में केन्द्रीय सतर्कता आयोग

आयोग अधिनियम, 2003 संसद द्वारा पारित किया गया।

□ केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के तहत,

केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी

स्वायत्त निकाय जिसका अधिदेश है

देखरेख

सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी कार्य

कई जगहों पर

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभाग।



4. चौथा चरण:

□ भूमिका और दायरे का विस्तार: 2004 - पर आधारित

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग

आयोग को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हुई

केन्द्रीय ब्यूरो

का जांच (सीबीआई)

भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना

केन्द्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ

□ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक पहल

केन्द्रीय सतर्कता आयोग बनाने के लिए यह कदम उठाया गया।

अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह।



5. पांचवां चरण:



भारत में सार्वजनिक संस्थान

□ लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 आगे

केंद्रीय सतर्कता आयोग की शक्तियों को मजबूत किया गया

आयोग द्वारा संस्था से जोड़ने का इसे लोकपाल

इस अधिनियम के तहत सीबीआई का अभियोजन निदेशालय

अनिवार्य को प्रतिवेदन को केंद्रीय सतर्कता आयोग

आयोग, जिससे इसे और मजबूती मिलेगी

सीवीसी की निगरानी भूमिका।



वर्तमान संरचना :

□ हाल के वर्षों में, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने

अपनाया तकनीकी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए

कार्यकुशलता। सतर्कता मंजूरी प्रणाली और जैसी पहल

ऑनलाइन शिकायत तंत्र उसका काम आसान हो गया है।

जन जागरूकता अभियान और सतर्कता जागरूकता

में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को बढ़ावा देना

पैमाने जनता के बीच.



□ केंद्रीय सतर्कता आयोग स्वतंत्र रूप से काम करता है

और भारत के राष्ट्रपति को सीधे रिपोर्ट करता है। यह

आयोग सतर्कता प्रशासन की भी देखरेख करता है,

भ्रष्टाचार विरोधी योजना और कार्यान्वयन पर सलाह देता है

रणनीतियाँ, और यह सुनिश्चित करता है कि सर्वोच्च अखंडता है

बनाए रखा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में।



निष्कर्ष

सीवीसी का ऐतिहासिक विकास एक लंबे और सुविचारित प्रयास का परिणाम है जिसका उद्देश्य

भारत में सरकारी मशीनरी में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए आज

यह भारत में भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।



Q.8

Short Notes

- i. Approaches of Public Institutions
- ii. NITI Aayog
- iii. SVEEP





(i) सार्वजनिक संस्थाओं का दृष्टिकोण

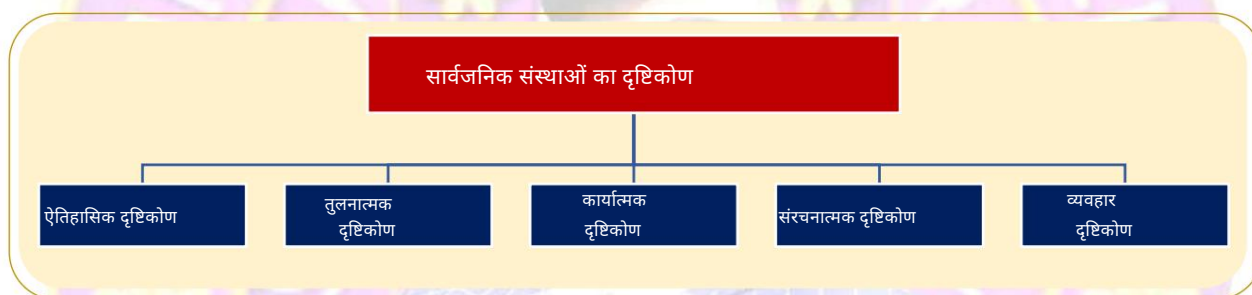
परिचय

सार्वजनिक संस्थाएँ किसी भी समाज की नींव होती हैं
लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक और राजनीतिक,
संवैधानिक, आर्थिक और सामाजिक विकास
किसी भी देश के।

ये संस्थाएँ राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं
विज्ञान, लोक प्रशासन एवं तुलनात्मक राजनीति आदि।



सार्वजनिक संस्थाएँ वे संगठन हैं जिनकी स्थापना इस उद्देश्य से की जाती है
जनता को सेवा, कल्याण और न्याय सुनिश्चित करना। ये संस्थाएँ **कानून बनाती हैं,**
नीतियों को लागू करना और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करना।



1. ऐतिहासिक दृष्टिकोण : ऐतिहासिक निगरानी की आवश्यकता पर बल देता है
सार्वजनिक संस्थाओं का विकास, इसके लिए जिम्मेदार ऐतिहासिक घटनाओं की पहचान करना
सार्वजनिक संस्थाओं का गठन और संचालन।

उदाहरण : भारतीय संसद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना, जैसे
औपनिवेशिक काल, संवैधानिक विवाद और सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव।

2. तुलनात्मक दृष्टिकोण : के लिए इस दृष्टिकोण में शामिल है
विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, सरकारों और संस्थाओं की तुलना। यह दृष्टिकोण
भौगोलिक स्थानों, सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं के कार्य करने के तरीके की तुलना करता है
और राजनीतिक सेटिंग्स, और समय।

उदाहरण : यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की संसदीय प्रणाली की तुलना करना।
संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली।



3. **कार्यात्मक दृष्टिकोण :** के कार्य और भूमिका से संबंधित है

राजनीतिक प्रणाली में सार्वजनिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व, कानून और प्रशासन और न्याय के कर्तव्य। यह दृष्टिकोण विभिन्न के प्रभाव की भी जांच करता है संस्थाएं और उनकी क्षमताएं।

उदाहरण : भारत के चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी क्षमता का विश्लेषण करना चुनाव कराने के लिए।

4. **संरचनात्मक दृष्टिकोण :** के तहत, सार्वजनिक संस्थानों को समझा जाता है उनकी संरचना और रूपरेखा के संदर्भ में, जो उन नियमों को निर्धारित करते हैं जो उन्हें नियंत्रित करते हैं संस्थाओं की कार्यप्रणाली, संबंध और कार्यप्रणाली।

उदाहरण : न्यायपालिका की संरचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायालयों का आवंटन विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन।

5. **व्यवहारिक दृष्टिकोण :** , व्यवहारों और से जुड़ा हुआ है विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं में व्यक्तियों की अंतःक्रिया, जिसमें संस्थाएं बनी रहती हैं लोगों के साथ जुड़ना। इस दृष्टिकोण के माध्यम से, निर्णय लेने की प्रक्रिया और आपसी अनुसंधान संस्थान के बीच गतिशीलता की जांच की जा सकती है।

उदाहरण : कानून निर्माताओं के बीच संचार और निर्णय लेने के तरीके अध्ययन किया जाता है।

निष्कर्ष

इसलिए, यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक संस्थाओं के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोण उनके काम करने के तरीकों को दर्शाते हैं। कामकाज, जो किसी समाज के लोकतांत्रिक विकास के लिए जिम्मेदार हैं या देश के सुचारु संचालन के लिए सार्वजनिक संस्थाएँ आवश्यक हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और शासन को प्रभावी बनाना।



(ii) नीति आयोग

परिचय

नीति आयोग एक महत्वपूर्ण नीति निर्माण एवं विकास संस्था है।

भारत सरकार का निर्देशन संगठन।

यह समझने और मार्गदर्शन करने के लिए सलाहकार की हैसियत से काम करता है।

उद्देश्यों, नीतियों और योजनाओं का विकास करना

भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को एक नया कानून पारित किया।

योजना आयोग के स्थान पर 'थिंक टैंक' के रूप में संस्था को अपनाया गया था।

'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान' के नाम से जाना जाता है, जिसे 'नीति आयोग' के नाम से भी जाना जाता है।

आयोग'.



यह एक स्वतंत्र निकाय है जिसके माध्यम से भारत में सार्वजनिक नीति तैयार की जाती है और यह भारतीय समाज में सुधारों को तेजी से प्रोत्साहित करने के लिए आयोग का गठन किया गया है अर्थव्यवस्था।

नीति आयोग की संरचना

- भारत के प्रधान मंत्री: अध्यक्ष
- उपराष्ट्रपति: प्रधानमंत्री द्वारा नामित।
- गवर्निंग काउंसिल: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।



नीति आयोग के उद्देश्य और कार्य

- नीति आयोग का प्राथमिक कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था को सलाह देना है।
सरकार को नई नीतियों के निर्माण में सहायता करना।
- राज्यों की भागीदारी से राष्ट्रीय विकास।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाना और उन्हें लोगों तक पहुँचाना
सरकार।
- आर्थिक और राजनीतिक मामलों में राष्ट्रीय हितों को शामिल करना
विभिन्न क्षेत्रों में आयोग के अधिकारियों के माध्यम से।
- राष्ट्रीय विकास पर साझा दृष्टिकोण विकसित करना
प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों को सक्रिय भागीदारी के साथ निर्धारित करना

राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने राज्यों में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखें।

नीति आयोग के सात स्तंभ

- (1) जन-समर्थक:
- (2) सक्रिय
- (3) भागीदारी
- (4) सशक्तिकरण
- (5) समावेशन
- (6) समानता
- (7) पारदर्शिता



नीति आयोग की प्रमुख योजनाएँ

- अटल इनोवेशन मिशन (2016) : नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
- महिला उद्यमिता मंच: नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- लकी ग्राहक और डिजि-धन व्यापार योजना: डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना।
- मेंटर इंडिया अभियान : मेंटरों को जोड़ना और उनका मार्गदर्शन करना।

नीति आयोग की उपलब्धियाँ

- वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2017-महिला प्रथम: सभी महिलाओं के लिए समृद्धि उद्यमिता मंच.
- इसके माध्यम से ग्राम भंडारण योजना की अवधारणा तैयार की गई है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना, ब्लॉकचेन और मेथनॉल अर्थव्यवस्था, आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान एक सरकारी संस्था है- 117 महत्वाकांक्षी जिले समग्र मापदंडों के एक सेट के आधार पर उनकी पहचान की गई।

नीति आयोग के समक्ष चुनौती

- नीति आयोग के पास नीति निर्माण के लिए कई विषय हैं, जिसके कारण उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है किसी एक विषय पर नीति बनाने में।
- नीति आयोग के पास राज्यों को धनराशि देने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे उसके लिए यह मुश्किल हो जाता है राज्य में परिवर्तन लाने के लिए।

नीति आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाहकार संगठन बनकर रह गया है।

सरकारी कामकाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक शक्ति।

निष्कर्ष

नीति आयोग कई महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं को कवर करता है। इसके माध्यम से कई समय-समय पर नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें तैयार किया जाता है देश की समृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना।



(iii) स्वीप

उत्तर - परिचय

भारत निर्वाचन आयोग का SVEEP कार्यक्रम

चुनावी माहौल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है

जागरूकता। इसका उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना है

चुनावी प्रक्रिया, ताकि देश के नागरिक

देश को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके और

जिम्मेदारियाँ। जिसके माध्यम से

मतदाता शिक्षा और जागरूकता फैलाने का काम विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके किया जाता है

संचार।



स्वीप एक कार्यक्रम है जो चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है।

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से मतदाताओं को मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

मतदान और चुनाव प्रक्रिया में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में नई दिल्ली में हुई थी।

स्वीप का पूरा नाम "व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी" है।

स्वीप कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य/कार्य/योगदान

1. सामाजिक दिशानिर्देश : चुनाव आयोग ने लोगों को प्रेरित किया है

स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से समाज को मतदान के लिए प्रेरित करना। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण संदेश देता है

चुनाव आयोग की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाएगी।

और समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाता है।

जागरूकता कार्यक्रम : पोस्टर, वीडियो, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

आदि का उपयोग जनता को चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है।

ये माध्यम विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं और

उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

विशेष समुदायों और युवाओं को शामिल करना : अभियान चलाए जाते हैं

युवाओं को मतदान का महत्व समझाएं और उनका पंजीकरण कराएं। इसके जरिए

चुनाव आयोग के कार्यक्रम के तहत जागरूकता एवं शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं।

गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग। इससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है।

4. लोकतांत्रिक गतिविधियों को बढ़ावा देना : गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

लोकतंत्र को मजबूत बनाना। जिससे नागरिकों को अपनी पहचान के प्रति जागरूकता आई।



लोकतांत्रिक शासन के प्रति लोगों की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी हैं। नतीजतन, लोगों का लोकतांत्रिक शासन के प्रति विश्वास कम हुआ है।

लोकतंत्र में वृद्धि हुई, जिससे जनता चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित हुई।

स्वीप जैसे कार्यक्रम लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे

एक ज़िम्मेदार और निष्पक्ष सरकार का गठन।

निष्कर्ष

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि चुनावी प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए

मतदाता जागरूकता बढ़ाने में स्वीप कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

जिसमें लोगों को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया।

ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों से। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम सराहनीय हैं

लोकतांत्रिक गतिविधियों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।



**To my amazing students, Best of luck for your exam.
May your knowledge shine brightly in the exam hall.**

- Manish Verma